ग्राम पंचायत चाखड़, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH HC (5)-(15) LAD/20096-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चाखड़, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) ग्राम पंचायत चाखड़ के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	अनियमितता का सार	पैरा सं0	₹ लाखों में
1	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय	7 (i)	6.20
2	निर्धारित अवधि के भीतर अनुदानों का उपयोग न करना	7 (ii)	2.24
3	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शाना	22 (ii)	1.58

2 **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान	अवधि	पंचायत सचिव	अवधि
श्री उपेंदर कुमार	1.4.2013 से 22.1.16	श्री धनी राम	1.4.13 से 31.3.16
श्री मदन लाल	23.1.16 से 31.3.16		

भाग–2

3 ग्राम पंचायत चाखड़ अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह

05/13, 10/14 व 03/16 तथा व्यय हेतु माह 03/14, 12/14 व 11/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्थ में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत चाखड़ के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 94 दिनांक 08.03.2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

5 वित्तीय स्थितिः—

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः—

(i) ग्राम पंचायत चाखड़ के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानो से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013—14	296096.98	1205339.00	1501435.98	1226938	274497.98
2014—15	274497.98	811894.65	1086392.63	746167	340225.63
2015—16	340225.63	1066261.00	1406486.63	777260	629226.63
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					629226.63
दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष (857533.38 (विभिन्न बैंकस में)+363.55 (हस्तगत रोकड़)					857896.93
दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					228670.30

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.03.16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.03.16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹228670.30 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) वाटर शेडः–

ग्राम पंचायत चाखड़ के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	93758	218099	311857	290770	21087
2014–15	21087	540452	561539	243091	318448
2015–16	318448	214039	532487	461017	71470
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					71470
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों / बही खातों के अनुसार शेष					12699
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					58771

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.2016 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.03.16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹58771 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत चाखड़ के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
2013–14	16357	363605	379962	379144	818
2014–15	818	269572	270390	262800	7590
2015–16	7590	228519	236109	228519	7590

दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	7590
दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष	6
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर	7584

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.2016 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.03.16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹7584 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारेः–

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 01.04.2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial Balance वर्ष 2012–13 में दर्शाए गए दिनांक 31.3.13 को दर्शाए गए अन्तिम शेषों के आधार पर उठाए गए थे परन्तु सम्बन्धित खाता बही इन शेषों की प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने के कारण विभिन्न बैंकों के आरम्भिक शेष बही खाता में दर्शाए गये शेषों के अनुसार है तथा सही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये ताकि दिनांक 1.4.13 को दर्शाए गए आरम्भिक शेष अभिलेखानुसार है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी में आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों में ₹7031 का अनभुना चेक दर्शाया गया था। स्पष्ट है कि काफी समय से इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति पता लगा के तथा अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में पाई गई अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत शेषों, प्राप्तियों तथा भुगतानों बारे उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अनुसार पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में तैयार की गई वार्षिक आय व्यय विवरणी (RD) तथा तुलन पत्र के आधार पर बनाई गई थी। उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) प्राप्त अनुदानों से ₹6.20 लाख का अधिक व्यय करना:–

परिशिष्ट "ख" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31.3.16 को ₹620185 ऋणात्मक दर्शाया गया था जिसके बारे चर्चा के दौरान सन्तोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	दिनांक 31.3.16 को शेष
IAY	167162
सिलाई अध्यापिका	9665
पंचायत सहायक	23880
वेतन कीमैन	236237
वेतन चौकीदार	6763
वेतन तकनीकी सहायक	5130
12th FC/ZP	8667
गाढ़ी कुटीर योजना	4630
अनुदान VKVNY	75200
13th FC/PS	82280
	571.25
कुल योग	**620185.25 say 620185.25**

(ii) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹2.24 लाख का उपयोग न करना:–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.16 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹223713 का शेष दर्शाया गया था। जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो

चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए वार्षिक आय व्यय में अन्तर होने बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क" तथा परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अनुदानों के वार्षिक आय व्यय में निम्नानुसार अन्तर था जबकि दोनों जानकारियों में वार्षिक आय/व्यय की राशियाँ एक समान होनी चाहिए थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

वित्त वर्ष	**परिशिष्ट "क" के अनुसार वार्षिक आय व्यय**		**परिशिष्ट "ख" के अनुसार वार्षिक आय व्यय**	
	आय	**आय**	**आय**	**व्यय**
2013–14	1121766.00	1181878	690221	1190699
2014–15	745252.65	695652	711109	678158
2015–16	1013996.00	749572	1274014	695878

(iv) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर/खाता बही update करके प्रस्तुत न किये जाने के कारण तुलन पत्रों तथा अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। **परिशिष्ट "ख"** में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। **परिशिष्ट "ख"** में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक शेष ग्राम पंचायत दिनांक 31.3.2013 से सम्बन्धित तुलन पत्र में दर्शाए गए शेषों के अनुसार है। उपरोक्त अभिलेख न दर्शाए जाने के कारण **परिशिष्ट "ख"** में सभी अनुदानों के शेषों बारे जानकारी न उपलब्ध करवाई गई हो इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 सावधि निवेशः–

परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6

माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके लेकिन यह प्रतीत होता हो कि इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

9 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–2 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता "ख" जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु चार रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी, जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बही में ₹15 का भुगतान अधिक दर्शाए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 113 पर दिनांक 4.1.14 को ₹573 का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु वास्तव में भुगतान ₹558 (82+250+200+26) बनता था। इस प्रकार ₹15 (573–558) का भुगतान अधिक दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹15 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा पंचायत के खाते में जमा करवाके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। अधिकतम वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंग्स की गई थी। कभी–2 हस्तगत राशि भी निर्धारित सीमा से अधिक रखी गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि0प्र0 पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

10 आयः–

(i) ₹2650 गृहकर की वसूली न करनाः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्त 2014–15 में ₹2500 (4960(496x10)-2460) तथा वित्त वर्ष 2015–16 में ₹150 (5190(519x10)-5040) तथा कुल ₹2650 (2500+150) गृह कर की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹2650 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में गृहकर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹10 प्रतिवर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह प्रस्ताव अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृह कर माँग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा था या इसे पूर्ण नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पूर्ण करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) शराब उप कर की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित शराब उपकर की राशि की आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः शराब उपकर की नियमानुसार देय राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रोकड़ बही (स्वस्त्रोत तथा अनुदान) में रसीदों की प्रविष्टियाँ क्रमवार नहीं की जा रही थी तथा एक साथ एक से अधिक रसीद बुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों के उपयोग तथा शेषों बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(iv) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होगें जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव

नहीं हो सका। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय

11 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations/tenders) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	12/14	36	2400 (800+800+800)	बोर्ड राईटिंग
	11/2015	76	1440	स्टेशनरी
		77	6600	पत्थर
			4800	रेत
			3500	बोर्ड राईटिंग
			4380	सीमेन्ट का किराया
			1500	–यथोपरि–
			3832	रेत ढुलान
	03/2014	126	5500	रेत तथा गाड़ी का किराया
वाटर शेड/DPAP	03/14	36	2460	रेत
			5000	रेत
			2000	सीमेन्ट ढुलान
	12/14	45	4600	सीमेन्ट ढुलान
	11/15	57	4400	पत्थर

			7200	रेत
			4800	शेटरिंग का किराया
			7200	रेत
			6600	पत्थर
			2080	सीमेन्ट का ढुलान
			2500 (500x5)	बोर्ड राइटिंग
			1620	सीमेन्ट का ढुलान
मनरेगा	03/14	73	4200	सीमेन्ट का किराया
		74	4200	रेत
			14327 (4800+9527)	रेत तथा पत्थर
			4200	रेत
			4200	रेत

12 जेसीबी चार्जिस के रूप में ₹0.41 लाख के भुगतान बारेः—

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जेसीबी के इस्तेमाल के एवज में निम्नानुसार ₹41340 का भुगतान दीप कन्स्टरक्शन वर्कर्स तहसील अर्की, जिला सोलन को किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु जेसीबी किराए पर लिए जाने के सन्दर्भ में जो निविदाएँ दर्शाई गई थी वे सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि निविदाओं पर न तो क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाएँ सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण निविदाएँ संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। जेसीबी के इस्तेमाल की एवज में किये गए निम्नलिखित राशि के भुगतान केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है। चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया गया था कि उपरोक्त फर्म को इन भुगतानों के अतिरिक्त जेसीबी के इस्तेमाल हेतु और भुगतान भी किये गये थे तथा कुल भुगतान ₹50000 से अधिक बनता था। कुल भुगतान ₹50000 से अधिक होने के कारण नियम 67 (5) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टेंडर आमन्त्रित किये जाने अनिवार्य थे न कि निविदाऐं जोकि नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जेसीबी से करवाए गए निम्नलिखित कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप

उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा साथ में सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ तथा इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ भी दर्शाए जाए।

माह	**रोकड़ बही**	**पृष्ठ संख्या**	**राशि (₹)**
03/14	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	121	18240
		121	23100
		कुल योग	**41340**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थीः–

(i) आयकर 2**%**

(ii) सेल्स टैक्स 3**%**

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10**%**

(iv) लेबर सेस 1**%**

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹0.39 लाख की खेलकूद सामग्री के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत को खेलकूद अनुदान के अन्तर्गत ₹39000 प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत ने इस राशि से माह 12/14 (रोकड़ बही स्वः स्त्रोत तथा अनुदान, पृष्ठ संख्या 32) में City Sales, Shimla से ₹39000 की खेलकूद की सामग्री क्रय की थी। पंचायत के अनुसार यह सामग्री दर संविदा (rate contract) के आधार पर की थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश भण्डार क्रय द्वारा City Sales, Shimla के पक्ष में जारी दर संविदा के आधार पर खेलकूद सामग्री के विक्रय के लिए अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित पत्र नहीं दर्शाया गया। साथ ही City Sales Shimla की विभिन्न वस्तुओं की price list

के अनुसार इस फर्म का rate contract दिनांक 30.09.14 तक वैध थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा खेलकूद से सम्बन्धित वस्तुओं का क्रय माह 12/14 में किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि खेल कूद से सम्बन्धित वस्तुओं का क्रय फर्म की दर संविदा की वैध अवधि (Validity period) समाप्त होने के पश्चात किया गया था जोकि अनियमित है। अतः नियन्त्रक, हिमाचल, भण्डार क्रय प्रदेश द्वारा फर्म के पक्षम में जारी दर संविदा से सम्बन्धित पत्र प्रस्तुत न किये जाने बारे तथा दर संविदा समाप्त होने के पश्चात उक्त फर्म से खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 ₹0.29 लाख के फर्नीचर के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ने फर्नीचर सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय हेतु दिनांक 09.12.14 को आशीर्वाद फर्नीचर, दाडलाघाट को ₹29400 (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 33) का भुगतान किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमंन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु फर्नीचर सम्बन्धी वस्तुओं के क्रय न तो क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। वाउचर से सम्बन्धित नस्ति में केवल दो निविदाएँ आशीर्वाद फर्नीचर, दाडलाघाट तथा भगत फर्नीचर, दाडलाघाट) संलग्न पाई गई जबकि तीन निविदाएँ प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाएँ सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण निविदाएँ संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने को उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर क्रय करने हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की व्यय अनुमति भी नहीं दर्शाई गई। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 पावतियाँ (receipts) से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है

लेकिन यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान के एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	12/2014	36	2400 (800+800+800)	बोर्ड राईटिंग
	11/2015	77	3500	बोर्ड राईटिंग
	03/2014	126	5500	रेत तथा गाड़ी का किराया
वाटर शेड/DPAP	03/14	36	2460	रेत
			5000	रेत
	12/14	45	4600	सीमेन्ट ढुलान
	11/15	57	4400	पत्थर
			7200	रेत
			4800	शेटरिंग का किराया
			7200	रेत
			6600	पत्थर
			2080	सीमेन्ट का ढुलान
			2500 (500ग5)	बोर्ड राईटिंग
			1620	सीमेन्ट का ढुलान
मनरेगा	03/14	74	4200	रेत
			14327 (4800+9527)	रेत तथा पत्थर
			4200	रेत
			4200	रेत
		76	8280	मस्टर रोल संख्या 3121
			990	मस्टर रोल संख्या 2666
		77	1104	मस्टर रोल संख्या 3389
			6072	मस्टर रोल संख्या 3342

16 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(i) अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102 (4) के अन्तर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं ही नहीं किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्या, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा कई प्रकरणों में village monitoring committee (VMC) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया जा रहा था। कई मस्टर रोल्स पर अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**मस्टर रोल संख्या/राशि**	**टिप्पणी**
वाटर शेड/DPAP	03/14	36	6900/30000	मस्टर रोल पर village monitoring committee (VMC) द्वारा निर्माण कार्य सही पूर्ण होने सम्बन्धी सत्यापन नहीं किया गया था।
			6899/9800	–यथोपरि–
मनरेगा	03/14	76	2965/1650	मस्टर रोल से सम्बन्धी movement slip मस्टर रोल के साथ संलग्न नहीं पाई गई
		78	3344/11592	मस्टर रोल से सम्बन्धी movement slip पूर्ण नहीं भरी गई थी

G.P. Chakhar

17 निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verification/assessment) न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन/आंकलन (verification/assessment) नहीं दर्शाया गया जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
स्वःस्त्रोत तथा अनुदान	11/2015	77	6600	पत्थर
			4800	रेत
		79	14022	सीमेन्ट
	03/2014	126	5500	रेत तथा गाड़ी का किराया
वाटर शेड/DPAP	03/14	36	2460	रेत
	11/15		5000	रेत
		57	4400	पत्थर
			7200	रेत
			7200	रेत
			6600	पत्थर
मनरेगा	03/14	74	4200	रेत
			14327 (4800+9527)	रेत तथा पत्थर

G.P. Chakhar

	4200	रेत
	4200	रेत
74 तथा 75	18275 (4945+5590+430 +7310)	सीमेन्ट

(ii) मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारेः–

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों का आकलन (assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है। परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कुछ मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए तथा कुछ मस्टर रोल्स के आकलन (assessment) दर्शाए ही नहीं गए। सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन के बिना इन निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**मस्टर रोल सं0**	**टिप्पणी**
मनरेगा	03/14	76	1650	2965	मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे
		77	2145	2665	–यथोपरि–
स्वःस्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	12/14	33	1000	7713	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का किया गया आकलन नहीं दर्शाया गया
		35	10108	7720	–यथोपरि–
		35	12488	7721	–यथोपरि–
	11/15	76	34210	804	–यथोपरि–
		76	17374	808	–यथोपरि–
	03/14	125	15200	6895	–यथोपरि–

		125	5200	6898	–यथोपरि–
DPAP	03/14	36	30000	6900	–यथोपरि–
		36	9800	6899	–यथोपरि–
	11/15	57	23580	805	–यथोपरि–
		57	10200	807	–यथोपरि–

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹1.07 लाख के स्वीकृत/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY तथा RAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण आदि हेतु ₹106831 जारी की गई थी। परन्तु इसके सन्दर्भ में बिल/वाउचर, सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को किश्तें जारी करते समय उनके द्वारा अपेक्षित स्तर का निर्माण कर लिया गया था या नहीं इस तथ्य के प्रधान/सम्बन्धित वार्ड पंच/सचिव द्वारा सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सत्यापन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि लाभार्थी वास्तव में किश्तें प्राप्त करने के पात्र थे तथा उन्होने निर्देशानुसार अपेक्षित स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्पष्टीकरण देने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**
स्वःस्त्रोत तथा अनुदान	12/14	32	37500
		36	4631
		36	1500
	03/14	123	13500
		123	43500
		125	6200
		कुल योग	**106831**

(iv) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुसितकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

18 पंचायत सचिव को किये गये ₹1476 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

माह 12/14 में रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 35 पर पंचायत सचिव को ₹1476 के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि TA claim फार्म पर सचिव द्वारा माह 11/14 तथा 12/14 में सभी यात्राएं चाखड़ से कुनिहार तथा वापिस चाखड़ दर्शाई गई थी परन्तु TA claim फार्म पर कुनिहार पहुँचने तथा कुनिहार से वापिस चलने के समय नहीं दर्शाया गया था। वित्त विभाग की पत्र संख्या Fin (c)-B(7)-1/2009 दिनांक 19.6.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार यात्रा के दौरान यात्रा से सम्बन्धित अवधि के लिए इस पत्र में निर्धारित दैनिक भत्ते की दरों के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु TA claim में प्रत्येक दिन यात्रा किये जाने के बावजूद सामान्य दैनिक भत्ते ₹130 का भुगतान किया गया था जबकि देय दैनिक भत्ते की गणना यात्रा तथा कार्यालय में व्यतीत की गई अवधि को ध्यान में रखकर अनुपातिक आधार पर की जानी चाहिए थी। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अधिक भुगतान की गई दैनिक भत्ते से सम्बन्धित राशि की अपने स्तर पर गणना करके तथा उसकी वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

19 जलपान पर ₹300 के व्यय बारेः—

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 12/14 में (रोकड़ बही सामान्य, पृष्ठ संख्या 35) में जलपान (चाय, खाना आदि) हेतु ₹300 का भुगतान किया गया था। वाउचर के अनुसार यह भुगतान दिनांक 23.9.14 तथा 19.11.14 को जलपान पर आये व्यय हेतु क्रमशः ₹150 तथा ₹150 किया गया था। परन्तु यह जलपान कितने व्यक्तियों को तथा किस उद्देश्य हेतु करवाया गया था इससे सम्बन्धित कोई विवरण वाउचर पर दर्ज नहीं था। जलपान पर व्यय करने से सम्बन्धित निर्धारित मानदण्ड भी नहीं दर्शाए गए। इन कारणों से जलपान पर किये गये ₹300 के भुगतान को सही नहीं माना जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः—

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलबध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

21 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	राशि/विवरण	विवरण
वाटर शेड	05/13	170000	सम्बन्धित बैंक पास बुक में राशि जमा किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई।
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	03/16	200	सम्बन्धित बैंक पास बुक में कमीशन काटे जाने सम्बन्धी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई

22 स्टोर / स्टॉकः–

(i) ग्राम पंचायत के भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical verification) बारेः–

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भण्डार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भण्डार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन किया ही नहीं जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹1.58 लाख की विभिन्न प्रकार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद ₹157785 के निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई मदों की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर / स्टॉक / स्टेशनरी रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु / ली गई सेवा का विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	12 / 2014	32	39000	खेलकूद सम्बन्धी वस्तुएं
		33	29400	फर्नीचर सम्बन्धी वस्तुएं
		36	2400 (800+800+800)	बोर्ड राइंटिंग
	11 / 2015	76	1440	स्टेशनरी
		77	6600	पत्थर
			4800	रेत
			3500	बोर्ड राईंटिंग

	03/16	124	1858	स्टेशनरी, ताला आदि
		125	1000	एन्टीवायरस
		126	5500	रेत तथा गाड़ी का किराया
वाटर शेड/DPAP	03/14	36	2460	रेत
			5000	रेत
	11/15	57	4400	पत्थर
			7200	रेत
			7200	रेत
			6600	पत्थर
PMAGY			2500 (500x5)	बोर्ड राईटिंग
		74	4200	रेत
			14327 (4800+9527)	रेत तथा पत्थर
			4200	रेत
			4200	रेत
		कुल योग	**157785**	

23 विविधः—

(i) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करनाः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को किसी के भी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था तथा कुछ पर सत्यापन केवल प्रधान द्वारा ही किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानो को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) स्वः स्त्रोत की प्राप्त आय से सीधा व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा कभी—2 स्व स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है, जबकि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बन्धित खाते में ही भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट "ग"**) से स्पष्ट हो जाता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(iv) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य मे नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टरों का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 बैंक द्वारा collection charges की कटौती किये जाने बारेः–

कुछ प्रकरणों में पाया गया कि सम्बन्धित बैंक द्वारा चैकस (cheques) से प्राप्त विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों को ग्राम पंचायत के खाते में collection charges काट कर जमा किया जा रहा था। अतः यह सुझाव दिया जाता है इस प्रकार के प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाये जाए ताकि इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सके।

25 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अलग से जारी नहीं की गई है।

26 **निष्कर्षः—** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 15/2017—खण्ड—1—5369—5372 दिनाँक 01.09.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत चाखड़ विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/—

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881